न्यायालयः–द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नरसिंहपुर (म.प्र.)

सदस्य–श्रीमती कीर्ति कश्यप

Registration No.	MACC 140/2024
Filing No.	MACC 531/2024
CNR No.-	MP4901-004421-2024
Filing Date.	23-08-2024

संजना अग्रवाल पति कमलेश अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष,
निवासी मकान नंबर 18, ग्राम श्रीनगर,थाना गोटेगांव,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) ———— **आवेदिका**

//विरूद्ध//

1. आदित्य उर्फ आदर्श पटैल पिता भरत पटैल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम तरवारा (श्रीनगर), थाना गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
(**वाहन चालक** कार रजिस्ट्रेशन क्र. MP20CJ-4922)

2. शशिकांत सिरवैया पिता कृष्णकुमार सरवैया, निवासी ग्राम नांगन देवरी, थाना धूमा, जिला सिवनी
(**वाहन मालिक** कार रजिस्ट्रेशन क्र. MP20CJ-4922)

3. द न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पता 668, रसल चौक, नेपियर टाउन जबलपुर, जिला जबलपुर म.प्र. ——— **अनावेदकगण**

आवेदिका द्वारा :– श्री मनोज साहू अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 01 व 02 द्वारा :– श्री प्रताप सिंह राजपूत।
अनावेदक क्र. 03 द्वारा :– श्री राहुल सिंह अधिवक्ता।

—:: अधिनिर्णय ::—

(आज दिनांक 30—07—2026 को घोषित)

1— आवेदिका **संजय अग्रवाल** ने यह याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम दिनांक 16.03.2024 को सुबह 10:00 बजे को अनावेदक क्र. 01 द्वारा वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आवेदिका को गंभीर उपहति कारित करने की क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में कुल 14,00,000/— रूपए की राशि प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है।

2— आवेदिका/आहत का अभिवचन है कि दुर्घटना दिनांक 16.03.2024 को वह अपने घर से रोड के किनारे—किनारे चलकर अपने देवर के घर जा रही थी उसी समय तरवारा तरफ से आ रही एक शिफ्ट कार क्रमांक MP20CJ-4922 के चालक आदित्य उर्फ आदर्श पटेल ने वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे पीछे से टक्कर मार दिया, घर के सामने खड़े उसके पति व देवर ने उसे उठाकर प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय उपस्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर ले गए जहां से प्राथमिक उपचार उपरांत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उचित उलाल हेतु उसे प्राइवेट अस्पताल श्रीधाम लाया गया जहां से परिजनों द्वारा उचित इलाज हेतु अरिहंत अस्पताल नागपुर ले जाया गया। घटना की सूचना अस्पताल चौकी श्रीधाम द्वारा पुलिस थाना गोटेगांव को भेजी गई जहां अपराध क्र. 270/2024 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3— आवेदिका/आहत ने अपने अभिवचन में घटना दिनांक से पूर्व स्वस्थ्य महिला एवं किसी रोग व बीमारी से ग्रसित नहीं होना बताते हुए अपने ग्राम श्रीनगर में घर पर ही अग्रवाल किराना दुकान का संचालन कर रूपए

20,000/— प्रतिमाह की आय अर्जित कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने में सहयोग करना बताया है तथा यह भी अभिवचन किया है कि वह दुर्घटना में आई चोटों के कारण स्वयं के दैनिक कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके ईलाज में लगभग 06—07 लाख रूपये खर्च हो गये हैं एवं आराम न लगने के कारण अपने ईलाज में और अधिक राशि लगने की संभावना है। आवेदिका का यह भी अभिवचन है कि अनावेदक क्र. 01 के द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण उक्त घटना कारित हुई जिससे आहत के परिवार को शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ा। अनावेदक क्र. 02 दुर्घटना कारित करने वाले वाहन क्र. MP20CJ-4922 का मालिक है एवं उक्त वाहन अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी में बीमित थी। आवेदिका ने अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः कुल क्षतिपूर्ति राशि 14,00,000/—रूपए एवं उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से दिलाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक क्र. 01 व 02 ने अपने जवाबदावे में आवेदन के तथ्यों से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि अनावेदक क्र. 01 द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है, आवेदिका/आहत को आई चोटें अन्य किसी कारण व अन्य वाहन से आयी हैं। यदि न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में दावा स्वीकार किया जाता है तो घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 01 के पास वैध लायसेंस होने तथा अनावेदक क्र. 02 का वाहन क्र. MP20CJ-4922 अनावेदक क्र. 03 द न्यू इंडिया इंश्योरेंस जनरल कंपनी के यहां बीमित होने से अनावेदक क्र. 01 व 02 के दायित्व का दावा अनावेदक क्र. 03 वहन करेगा। आवेदिका ने झूठे तथ्यों के आधार पर अनावेदक क्र. 01 के विरूद्ध पुलिस थाना गोटेगांव में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है तथा अत्याधिक मुआवजा

राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठे आधारों पर यह दावा हर मद में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी की ओर से दुर्घटना, आवेदिका की चोट, अस्थिभंग, उसके उपचार, उसके व्यवसाय, उसकी शारीरिक, मानसिक स्थिति, क्षतिपूर्ति राशि, आय के संबंध में याचिका के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए याचिका निरस्त करने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि दिनांक 16.03.2024 को आवेदिका को श्रीधाम अस्पताल में भर्ती किया गया था जबकि गोटेगांव में घटनास्थल के पास ही पुलिस थाना तथा शासकीय अस्पताल भी थे किंतु वहां न जाकर आवेदिका को प्राइवेट श्रीधाम अस्पताल ले जाया गया तथा वहां की किसी प्रकार की एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। पुलिस को श्रीधाम अस्पताल गोटेगांव द्वारा दी गई भर्ती सूचना में आवेदिका के रिश्तेदार अमित अग्रवाल ने स्पष्ट खुलासा नहीं किया है कि सड़क दुर्घटना किस वाहन से हुई और कितने बजे हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से की गई है, विलंब का कोई समुचित कारण अभिलेख पर नहीं है। अनावेदक क्र. 02 वाहन स्वामी द्वारा अनावेदक क्र. 01 को वाहन किस हैसियत से दिया गया तत्संबंध में अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी को कोई जानकारी नहीं दी गई जिस कारण उक्त उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए अनावेदक क्र. 01 व 02 जवाबदार हैं। वाहन का मैकेनिकल मुलायजा प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शित करे कि बीमित वाहन से घटना हुई है।

6– अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 16.03.2024 की होकर वाहन क्र. MP20CJ-

4922 से घटना कारित होना बताई गई है जबकि उक्त वाहन का बीमा, बीमा कंपनी के पस दिनांक 31.07.2024 को करवाया गया है, इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा प्रस्तुत संपत्ति पत्र दिनांक 28.03.2024 के कॉलम नं. 12 में जप्त किए गए वाहन व दस्तावेजों में यह कहीं दर्शित नहीं है कि अनावेदक क्र. 03 की बीमा पॉलिसी घटना दिनांक को प्रचलन योग्य थी, इस प्रकार से उक्त क्षति के लिए अनावेदक क्र. 03 जवाबदेह नहीं है। घटना के समय उक्त वाहन को अनावेदक क्र. 01 द्वारा वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः दावा सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

7— उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर वादप्रश्न विरचित किए गए। वादप्रश्न एवं उन पर निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः—

क्र.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दिनांक 16.03.2024 को सुबह लगभग 10:00 बजे आवेदिका/आहत को दुर्घटना में गंभीर उपहति कारित हुई?	**"प्रमाणित"**
2.	क्या उक्त दुर्घटना, अनावेदक क्र. 01 ने वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर कारित की?	**"प्रमाणित"**
3.	क्या उक्त वाहन घटना दिनांक 16.03.2024 को अनावेदक क्र. 03 से विधिवत बीमित था?	**"प्रमाणित"**
4.	क्या आवेदिका उक्त चोट के परिणामस्वरूप स्थाई रूप से अपंग हो गयी है ?	**"प्रमाणित नहीं"**
5.	सहायता एवं वाद व्यय?	**अधिनिर्णय की कंडिका 36 के अनुसार**

8— आवेदिका की ओर से साक्षी के रूप में स्वयं आवेदिका संजना अग्रवाल (आ.सा.01) एवं कमलेश अग्रवाल (आ.सा.02) की साक्ष्य संपन्न कराई

गई है। आवेदिका की ओर से अपने दावे तथा साक्ष्य के समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02, अपराध विवरण प्रदर्श पी–03, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–04, श्रीधाम हॉस्पिटल की पुलिस सूचना प्रदर्श पी–05, बेडहेड टिकिट प्रदर्श पी–06, धारा 133 का नोटिस प्रदर्श पी–07, श्रीधाम हॉस्पिटल का फाइनल बिल प्रदर्श पी–08, डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–09, ईलाज से संबंधित दस्तावेज व बिल प्रदर्श पी–10 लगायत प्रदर्श पी–49 तथा वाहन के दस्तावेजों की छायाप्रति व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई है। प्रकरण में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 01, 02 व 04 का निराकरण :–</u>

9– उक्त तीनों वादप्रश्न परस्पर एक ही सम्व्यवहार से संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक साथ निराकृत किए जा रहे हैं।

10– आवेदिका संजना अग्रवाल (आ.सा.01) ने दिनांक 16.03.2024 को सुबह 10:00 उसके घर के सामने एक फोरव्हीलर कार से उसका एक्सीडेंट होना जिसके कारण उसे हाथ व पैर में गंभीर चोटें आना बताई है। आवेदिका का कथन है कि घटना के बाद उसके पति द्वारा उसे उठाकर गोटेगांव अस्पताल ले जाया गया था जहां वह दिनांक 16.03.2024 से 29.03.2024 तक भर्ती रही। आवेदिका का यह भी कथन है कि उक्त वाहन को आदर्श पटैल चला रहा था।

11– आवेदिका के कथनों का समर्थन करते हुए कमलेश अग्रवाल (आ.सा.02) ने भी उसके सामने घटना दिनांक 16.03.2024 को उसकी पत्नी को उसके छोटे भाई के यहां जाते समय चालक आदर्श पटैल द्वारा वाहन कार क्र.

MP20CJ-4922 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के बाद उपस्थित लोगों द्वारा वाहन चालक को पकड़ लिया गया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी पत्नी की स्थिति खराब होने पर वह पत्नी को श्रीधाम हॉस्पिटल गोटेगांव ले गया था जहां उसकी पत्नी 10–11 दिन भर्ती रही उसके बाद नागपुर में इलाज चला और अभी भी इलाज चल रहा है, उसकी पत्नी को हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोटें आईं थीं। साक्षी ने चौकी झोतेश्वर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराना बताया है।

12– प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श पी–05 पुलिस सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.03.2024 को सुबह 11:00 बजे सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप आई चोटों के उपचार हेतु आवेदिका/आहत का श्रीधाम अस्पताल में उपचार कराया गया।

13– जहां तक दुर्घटना के परिणामस्वरूप **आवेदिका को घोर उपहति एवं स्थायी निःशक्तता कारित होने का प्रश्न है तो** आवेदिका संजना अग्रवाल (आ.सा.01) ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में उसे दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता कारित होने का कथन नहीं किया है। इस संबंध में आवेदिका की ओर से कोई निःशक्तता प्रमाण पत्र भी प्रकरण के साथ पेश नहीं किया है। पुलिस सूचना पत्र प्रदर्श पी–05 एवं बेड हेड टिकिट प्रदर्श पी–06 में आवेदिका को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट आने का उल्लेख है। श्रीधाम अस्पताल गोटेगांव की डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–09 में भी आवेदिका को बाएं पैर की पिंडली में घुटने के ठीक नीचे तथा दाएं हाथ की रेडियस हड्डी में अस्थिभंग का उल्लेख है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तो साबित होता है

कि आवेदिका संजना अग्रवाल को सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप गंभीर उपहति कारित हुई, किंतु उपरोक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता कारित होना दर्शित नहीं है।

14– अब यह देखना होगा कि **क्या आवेदिका की दुर्घटना प्रश्नगत वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 से हुई एवं क्या उसे अनावेदक क्र. 01 आदित्य उर्फ आदर्श पटैल घटना के समय चला रहा था ?**

15– इस संबधं में देखें तो आवेदिका संजना अग्रवाल (आ.सा.01) ने दिनांक 16.03.2024 को उसके घर के सामने एक फोरव्हीलर कार से उसका एक्सीडेंट होना और उक्त वाहन को आदर्श पटैल द्वारा चलाए जाने का स्पष्ट कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय कौन वाहन चला रहा था, वाहन का क्या नंबर था, यह उसने नहीं देखा क्योंकि टक्कर लगने के बाद वह बेहोश हो गई थी तथा घटना के बाद उसका पति और जीजा विनोद मौके पर आए थे। कमलेश अग्रवाल (आ.सा.02) ने घटना दिनांक को उसके सामने उसकी पत्नी को वाहन चालक आदर्श पटैल द्वारा वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारना तथा घटना के समय घटनास्थल के आसपास मौजूद होकर उसके द्वारा घटना देखना बताया है। यद्यपि उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव प्राप्त किए गए हैं कि उसने घटना दिनांक को ही घटना की तत्काल रिपोर्ट नहीं लिखाई और ना ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के संबंध में कोई आवेदन दिया तथा उसने किसी भी अस्पताल में ऐसा उल्लेख नहीं कराया है कि घटना वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 के चालक द्वारा कारित की गई है किंतु साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल लेख नहीं कराए जाने का यह कारण बताया है कि

वह अपनी पत्नी के इलाज में व्यस्त था और वाहन चालक तथा वाहन मालिक ने इलाज कराने का आश्वासन दिया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उक्त खंडनकारी सुझाव के अतिरिक्त ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है, जिससे कि अनावेदक क्र. 01 के द्वारा वाहन कार चलाकर आवेदिका के साथ दुर्घटना कारित किए जाने को लेकर उसकी साक्ष्य पर कोई संदेह किया जाए।

16— धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी—07 में अनावेदक क्र. 02 शशिकांत सिरवैया द्वारा प्रश्नगत वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 उसके स्वामित्व का होना एवं दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन को उसके रिश्तेदार आदर्श पटैल द्वारा परिचालन किया जाना स्वीकार किया है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—04 के माध्यम से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 को अनावेदक क्र. 01 आदर्श पटैल से जप्त किया जाना स्पष्ट है। प्रदर्श पी—01 के अभियोग पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि अनुसंधान उपरांत अनावेदक क्र. 01 के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य को कोई चुनौती अनावेदकगण की ओर से नहीं दी गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि सुसंगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 को अनावेदक क्र. 01 आदर्श पटैल द्वारा चलाया जा रहा था।

17— प्रश्नगत वाहन में कोई यांत्रिक खराबी हो, इसे लेकर कोई साक्ष्य नहीं है तथा दुर्घटना, कैसे, किन परिस्थिति में, किसकी त्रुटि से घटित हुई, इसे लेकर सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनावेदक क्र. 01 की होती, जो उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करता, किंतु वह साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय अनावेदक क्र. 01 के द्वारा प्रश्नगत मोटरसायकल को उपेक्षा या

उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में अनावेदक क्र. 01 के विरुद्ध उपधारणा की जायेगी। सम्मानीय न्यायदृष्टांत **म.प्र. रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरूद्ध वेजयंती 1995 ए.सी.जे.56 डी.बी., गायत्रीबाई विरूद्ध नरेन्द्र 1999(2) एम.पी.वी.नो. 141 डी.बी.** तथा **चंदादेवी विरूद्ध राजेन्द्रसिंह 2004 ए.सी.जे.634 एम.पी.(डी.बी.)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि वाहन चालक दुर्घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता हैं। उसके कथन नहीं कराये जाने की दशा में उसके विरूद्ध उपधारणा की जावेगी।

18– अनावेदक क्र. 03 के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है। सम्मानीय न्यायदृष्टांत **रवि विरूद्ध बद्रीनारायण व अन्य 2011 (1) दु.मु.प्र. 311 (एस.सी.)** के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब पीड़ित को न्याय से इंकार का आधार प्रमाणित नहीं हो सकता है। प्रमाणिकता विलंब से अधिक महत्वपूर्ण होती है।

19– इस संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.03.2024 की घटना की रिपोर्ट लगभग 12 दिन बाद दिनांक 28.03.2024 को दर्ज हुई है। आवेदिका संजना अग्रवाल (आ.सा.01) ने घटना के तुरंत बाद बेहोश हो जाने के कारण रिपोर्ट नहीं लिखाई जाना तथा कमलेश अग्रवाल (आ.सा.02) ने घटना के पश्चात् वाहन चालक एवं वाहन मालिक द्वारा इलाज का आश्वासन दिए जाने के कारण घटना की प्रथम बार रिपोर्ट तत्काल नहीं लिखाया जाना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 में विलंब का कारण उल्लेखित नहीं है, किंतु विलंब से एफ.आई.आर. कराए जाने का विपरीत प्रभाव आवेदिका के मामले पर नहीं पड़ता है, क्योंकि घ

ाटना दिनांक की श्रीधाम अस्प्ताल गोटेगांव के पुलिस सूचना पत्र प्रदर्श पी–05 के अनुसार घटना दिनांक को ही थाना प्रभारी थाना गोटेगांव को घटना की सूचना प्रदान की गई तथा उक्त सूचना पत्र में घटना का कारण, सड़क दुर्घटना में घायल होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त सूचना पत्र अनुसार घटना दिनांक को ही संबंधित थाने को दुर्घटना की सूचना दिया जाना स्पष्ट है।

20– इस प्रकार आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त विवेचना से यह संभावनाओं की प्रबलता से प्रमाणित है कि उक्त दुर्घटना, अना. क्र. 01 ने वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर कारित की, जिससे आवेदिका को गंभीर उपहति कारित हुई किंतु उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं है कि उपरोक्त दुर्घटना में आवेदिका संजना अग्रवाल को स्थायी विकलांगता कारित हुई।

वादप्रश्न क्रमांक 03 का निराकरण :–

21– प्रकरण के साथ संलग्न प्रश्नगत वाहन के पंजीयन की प्रति से वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 का वैध पंजीयन होना स्पष्ट है। संलग्न अनावेदक क्र. 01 आदित्य उर्फ आदर्श पटैल के ड्रायविंग लायसेंस की प्रति के अवलोकन से घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 01 के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने की वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति होना स्पष्ट है तथा संलग्न प्रश्नगत वाहन की बीमा पॉलिसी की प्रति के अनुसार घटना दिनांक 16.03.2024 को प्रश्नगत वाहन बीमित होना भी स्पष्ट है। अतः यह **प्रमाणित** है कि वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 अनावेदक क्र. 03 से विधिवत बीमित था।

वादप्रश्न क्रमांक 05 का निराकरण :–

22– आवेदिका की आयु के संबध में देखें तो याचिका में आवेदिका ने उसकी आयु 40 वर्ष होना अभिवचनित किया है, किंतु अनावेदक पक्ष के द्वारा सुझावित किए जाने पर आवेदिका ने दुर्घटना के समय अपनी आयु 42 वर्ष 6 माह होना स्वीकार किया है। अतः यह प्रमाणित है कि दुर्घटना के समय आवेदिका की आयु 42 वर्ष 6 माह थी।

23– आवेदिका की आय के संबंध में देखें तो याचिका में आवेदिका ने 20,000/–रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना अभिवचनित किया है। इस संबंध में देखें तो आवेदिका की ओर से घर पर ही अग्रवाल किराना दुकान का संचालन करने के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। अत : किराना दुकान के संचालन एवं उससे आय को लेकर प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना के समय आवेदिका किराना दुकान के संचालन का कार्य करके प्रतिमाह आय अर्जित करती थी। चूंकि आवेदिका गृहणी होकर अपने घर में विभिन्न सेवाएं देती थी।

24– सम्माननीय न्यायदृष्टांत **अरूण कुमार अग्रवाल विरूद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2010) 9 एस.सी.सी. 2018** के मामले में यह अभिमत दिया गया है कि **हाउसवाईफ के मामले में** प्रतिकर निर्धारण के उद्देश्य से हाउसवाईफ/माता की सेवाओं का कुछ आर्थिक अनुमानित मूल्य होना चाहिए और मोटरयान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 6 पर विश्वास किया जा सकता है चाहे मामला धारा 166 मो.या.अधि. का हो।

25– सम्माननीय न्यायदृष्टांट **Laxmidhar Nayak v. Jugal Kishore Bahera, AIR 2018 SC 204** के मामले में यह मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रतिपादित किया गया कि हाउसवाईफ के आहत होने पर भी उसकी आमदनी **4,500/–रूपए प्रतिमाह मानकर** प्रतिकर निर्धारण किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका को दुर्घटना में आयी गंभीर उपहति/अस्थिभंग के कारण लगभग 03 माह तक स्वाभाविक रूप से अपने निजी एवं घरेलू कामकाज करने में असमर्थ रही होगी। अतः आवेदिका के **आमदनी की हानि में 13,500/–रूपए** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

26– आवेदिका को स्थायी निःशक्तता कारित होना प्रमाणित नहीं है। अतः वह भविष्य की आय की हानि में कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

27– न्यायदृष्टांत **राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार एवं अन्य (2011) 1 एस.सी.सी. 343** में व्यक्तिगत चोटों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकर को मौद्रिक क्षतिपूर्ति एवं गैर मौद्रिक क्षतिपूर्ति में बांटा है।

28– आवेदिका संजना अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज श्रीधाम अस्पताल का पुलिस सूचना पत्र प्रदर्श पी–05, बेडहेड टिकिट प्रदर्श पी–06, डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–09 एवं इलाज के पर्चे व बिल प्रदर्श पी–10 लगायत प्रदर्श पी–49 को देखें तो उक्त उपचार संबंधी दस्तावेज में से प्रदर्श पी–10 लगायत प्रदर्श पी–17 के दस्तावेज दुर्घटना के पश्चात् श्रीधाम अस्पताल में आवेदिका के उपचार, जांच, उपकरण एवं दवाईयों संबंधित दस्तावेज हैं जो दुर्घटना दिनांक 16.03.2024 से 29.03.2024 तक के हैं, आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी–18 लगायत प्रदर्श पी–49 के दस्तावेज दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 12.03.2026, आवेदिका को दुर्घटना में आई चोटों के उपचार से संबंधित न होकर अरिहंत मल्टीस्पेशलिटि अस्पताल नागपुर में आवेदिका के उच्च

रक्तचाप एवं हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के उपचार से संबंधित हैं।

29— प्रकरण में आवेदिका को गंभीर उपहति होने का तथ्य प्रमाणित पाया गया है। अतः मौद्रिक क्षति के संबंध में देखें तो प्रदर्श पी—08 व प्रदर्श पी—11 लगायत प्रदर्श पी—17 के अंतिम बिल व मेडीकल स्टोर्स की रसीद का कुल योग **2,52,785/—रुपये** होता है। अतः आवेदिका इलाज व दवा के व्यय के उक्त राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

30— गैर मौद्रिक क्षति के संबंध में देखें तो आयी चोटों के परिणामस्वरूप आवेदिका को शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात होना, जीवन में खुशियों की कमी होना, जीवन प्रत्याशा की हानि होना स्वाभाविक है। अतः आवेदिका की चोट की प्रकृति व उससे उत्पन्न पीड़ा को देखते हुए उपरोक्त मद में **5,000/—रुपये** प्राप्त करने का अधिकारी है।

31— डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी—09 के अनुसार आवेदिका दिनांक 16.03.2024 से दिनांक 29.03.2024 तक कुल 13 दिवस की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती रही है, इस दौरान उसके साथ एक सहायक का होना एवं उस पर भी कुछ व्यय होना स्वाभाविक है। अतः सहायक के व्यय में आवेदिका को **500/—रुपये प्रतिदिन** के मान से **6,500**/—रुपये दिलाया जाना उचित प्रकट होता है।

32— आवेदिका को आयी चोट को देखते हुए उसे प्रोटीनयुक्त व पौष्टिक आहार की आवश्यकता रही होगी। अतः पौष्टिक आहार के व्यय में **10,000/—रूपये** दिलाया जाना उचित प्रकट होता है।

33— आवेदिका ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील गोटेगांव की निवासी

है तथा उसे दुर्घटनास्थल से श्रीधाम अस्पताल गोटेगांव उपचार हेतु ले जाया गया है। ऐसी स्थिति में उसका आवागमन पर व्यय होना स्वाभाविक है। अतः आवागमन के व्यय में आवेदिका को **500/—रूपये** दिलाया जाना उचित प्रकट होता है।

34— आवेदिका ने भविष्य में मेडीकल खर्च लगने के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिये **भविष्य के ईलाज खर्च के रूप में** आवेदिका को **कोई राशि प्रदान नहीं** की जा सकती।

<u>आवेदिका को देय प्रतिकर की गणना :—</u>

क्र.	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	इलाज के मद में।	2,52,785/—रुपये
2.	आवेदक के परिवार के सदस्य के परिचारक के रूप में आवेदक के साथ उपस्थित रहने के मद में।	6,500/—रुपये
3.	आवेदक को प्रोटीनयुक्त व पोष्टिक आहार के मद में।	10,000/—रुपये
4.	आवागमन में मद में।	500/—रुपये
5	भविष्य के इलाज के मद में।	कुछ नहीं।
6.	आय की हानि के मद में।	13,500/—रुपये
7.	आवेदक को शारीरिक पीड़ा, दर्द, मानसिक आघात, सुख—साधन की कमी व जीवन के आनंद की कमी के मद में।	5,000/—रूपये
	कुल राशि	**2,88,285/—रुपये**

35— उपरोक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना से दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कार क्र. MP20CJ-4922 का अनावेदक क्र. 02 शशिकांत सिरबैया रजिस्टर्ड स्वामी होकर घटना के समय अनावेदक क्र. 01 आदित्य उर्फ आदर्श

पटैल द्वारा वाहन का चालन किया जाना प्रमाणित है, जिस कारण यह स्पष्ट है कि आवेदिका, अनावेदक क्र. 01, 02 व 03 से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति राशि **2,88,285/–रुपए** प्राप्त करने की अधिकारी है।

(सहायता एवं वाद व्यय) :–

36– उपरोक्त संपूर्ण वादप्रश्न के विवेचन एवं उनमें दिये गये निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका की ओर से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत प्रस्तुत आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है और आवेदिका के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नलिखित अधि–निर्णय पारित किया जाता है किः–

1– आवेदिका प्रतिकर के रूप में अनावेदक क्र. 01, 02 व अनावेदक क्र. 03 से पृथक–पृथक या संयुक्ततः **2,88,285/– (अंकन दो लाख अठ्ठयासी हजार दो सौ पच्यासी रूपए)** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

2– आवेदिका उपरोक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से राशि अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अनावेदकगण से प्राप्त करने की अधिकारी है, जो कि उसे नियमानुसार उसके बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावेगी।

3– अनावेदक पक्ष उभयपक्ष का वादव्यय वहन करेगा।

4– यदि आवेदिका ने अंतिम प्रतिकर की राशि प्राप्त की हो तो उसे उक्त राशि में से समायोजित की जावे।

5– अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या अनुबंध अनुसार, जो भी न्यूनतम हो प्रमाणित होने पर देय हो। तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जाए।

37— अनावेदकगण क्षतिपूर्ति राशि को इस दावा अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिला नरसिंहपुर के खाता क्र. 420602010117970 आई.एफ.एस.सी. नंबर UBIN0542067 में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा कर अधिकरण को सूचित करें। क्षतिपूर्ति राशि आवेदिका के बैंक खाते में भुगतान आदेश के माध्यम से अथवा डिजीटली भुगतान की जावे।

38— मोटरयान अधिनियम की धारा 168(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की प्रतियां उभयपक्ष को प्रदान की जावें।

अधिनिर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/—
(श्रीमती कीर्ति कश्यप)
सदस्य
द्वितीय मो.दुर्घ.दावा अधिकरण, नरसिंहपुर

सही/—
(श्रीमती कीर्ति कश्यप)
सदस्य
द्वितीय मो.दुर्घ.दावा अधिकरण, नरसिंहपुर

KIRTI KASHYAP

Digitally signed by KIRTI KASHYAP
Date: 2026.07.30 17:54:14 +0530